# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ165(7)ले.ब./परावि/एस.एफ.सी–चतुर्थ/10–11/पार्ट–।। 7061 जयपुर, दिनांकः 13/8/13

### प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 13/13–14

राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ की वर्ष 2013–14 की प्रथम किश्त की राशि रू. 2083500000/– (अक्षरे रू. दो सौ आठ करोड पैतीस लाख मात्र) ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में संलग्न सारणी अनुसार ऑफ लाईन हस्तान्तरण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के दिशा निर्देशानुसार ही किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार हैः–

बजट मद

515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
198 –ग्राम पंचायतों को सहायता
(03)–राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पचांयतो के लिये अनुदान

| मांग सं. 41<br>[02]–कार्यकलाप/गतिविधियां<br>12–सहायतार्थ अनुदान<br>(आयोजना) | मांग सं. 30<br>[03]–कार्यकलाप/गतिविधिय<br>12–सहायतार्थ अनुदान<br>(आयोजना) | मांग सं. 51<br>[04]–कार्यकलाप/<br>गतिविधियां<br>12–सहायतार्थ<br>अनुदान (आयोजना) | योग<br>(राशि लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 14655.34 | 2604.375 | 3575.285 | 20835 |
| | | कुल योग | 20835 |

(अक्षरे रू. दो सौ आठ करोड पैतीस लाख मात्र)

उपरोक्त राशि चतुर्थ वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में वर्ष 2013–14 के लिए राशि हस्तांतरण की अनुशंषा के तहत समायोजित किये जाने के अध्ययधीन होगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 271300393 दिनांक 25.07.2013, के अनुसारण में जारी की जा रही हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त

लगातार–2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग चतुर्थ वित्त भवन, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
6. संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
7. स्टेट लीड बैंक ऑफीसर, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तरित अविलम्ब हो जाये, इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावें।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
9. .....बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करे।
10. चीफ मैनेजर/ ब्रान्च मैनेजर.....बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार कराकर अविलम्ब संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें।
11. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावें। गलत खातें में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावें। यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई विसंगति आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नही हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब सरपंच ग्राम पंचायत.....(प.सं.....) के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक बनाया जाकर संबंधित पंचायत समिति की जावे। अतः उक्तानुसार अपनी सहायक बैंको को राशि अन्तरण के लिये निर्देश आपके स्तर से प्रेषित करें।
12. अपनी सहायक बैंकों से ग्राम पंचायतों के सही बैंक खातों में एवं त्रुटि की स्थिति में डी.डी./बैकर्स चैक से राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/ सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
13. आहरण एवं विवरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सारणी के अनुसार बैंक वार एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने की तत्काल व्यवस्था करावे।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली राज्य वित्त आयोग विभाग चतुर्थ की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेत जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये किया जावे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति हेतु प्रावधित राशि एवं महिलाओं एवं बालिकाओं पर व्यय हेतु जेण्डर बजट हेतु प्रावधित राशि 48 प्रतिशत का व्यय इन वर्गो के कल्याणार्थ किया जायेगा इस बाबत समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, यह सुनिश्चित भी करावे।
15. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुऐ किया जावे।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त